राजस्थान सरकार

निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–एफ 1(592)स्था/निकाशि/96/ दिनांकः–

समस्त प्राचार्य,

1. राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
2. राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, जयपुर।
3. राजस्थान संगीत संस्थान, जयपुर।

परिपत्र

प्रायः यह देखा गया है कि प्राचार्यो द्वारा ग्रीष्मावकाश में बहुत बड़ी संख्या में बिना औचित्य के व्याख्याताओं को मुख्यालय पर राजकार्य करने के नाम पर रोका जाता है। जिसके परिणामस्वरूप रोके गये व्याख्याताओं को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 92 (ख) के अन्तर्गत अनावश्यक रूप से उपार्जित अवकाश का लाभ दिया जाता है, जो कि अनुचित है।

अतः आप को निर्देशित किया जाता है कि ग्रीष्मावकाश में जिन व्याख्याताओं/शैक्षणिक स्टाफ को राजकार्य हेतु मुख्यालय पर रोका जाना आवश्यक हो उनके कार्य का औचित्य अंकित करते हुए स्पष्ट रूप से प्रस्ताव भिजवाये कि इन्हें कितने दिवस रोकना आवश्यक है। सनद रहे कि अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति के बिना कार्मिकों को रोकने पर किसी प्रकार का लाभ देय नहीं होगा। अतः भविष्य में उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित करें।

निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।

क्रमांकः–एफ 1(592)स्था/निकाशि/96/590-593 दिनांकः–28.5.13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. प्राचार्य संस्थापन शाखा, निदेशालय।
3. श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिषत्र विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।

संयुक्त निदेशक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

D:\d\all files e\ Order New